न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—18/2018/223 (2018/00018)

1. श्रीमती मोहनी देवी पत्नि स्व0 प्रेमसिंह,
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 प्रेमसिंह,
3. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 प्रेमसिंह,
4. ललिता पुत्री स्व0 प्रेमसिंह,
5. शारदा पुत्री स्व0 प्रेमसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम पीपलाज, तह0 मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. जोधसिंह पुत्र हीरासिंह,
2. हेमेन्द्रसिंह पुत्र जोधसिंह,
3. भगवतसिंह पुत्र जोधसिंह,
   समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम पीपलाज, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
4. पन्नासिंह पुत्र हीरासिंह,
5. पदमसिंह पुत्र हीरासिंह,
   जाति रावत, नि0 ग्राम भीम (बरतू), जिला राजसमंद ।
6. गणपतसिंह पुत्र पदमसिंह, जाति रावत, नि0 ग्राम लसाडिया (देवगढ़), जिला राजसमंद ।
7. भगवतसिंह पुत्र बन्नासिंह, जाति रावत, निवासी लोढा कॉलोनी, ब्यावर, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 21.7.2017 अंतर्गत वाद संख्या 07/2017.

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः—16.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.7.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पीपलाज भू0अ0नि0 क्षैत्र पीपलाज तहसील मसूदा की जमाबंदी संवत् 2071'74 के खाता नंबर 329 खसरा नंबर 2236/1571 रकबा 1—7—05 बीघा किस्म बरड़ा भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है जिस पर शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है । वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में काफी मेहनत कर एवं काफी धन खर्च

करके भूमि का वर्तमान रूप दिया है किन्तु प्रतिवादीगण अपनी दादागिरी के वशीभूत आए दिन वादीगण को परेशान करते रहते है एवं वादीगण की सीमा में भी प्रवेश कर अतिक्रमण कर लेते है जिससे विवाद की आशंका बनी रहती है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का संबंध नहीं है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.7.2017 द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण का बिना काउन्टर क्लेम पेश किये वादीगण को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादीगण/अपीलांटस विवादित आराजी खसरा नंबर 2236/1571 के खातेदार काश्तकार है जिसकी भूमि पर रेस्पो0 द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किये जाने एवं निर्माण कार्य करने पर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधी0न्याया0 को स्वीकार करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को पाबंद करने के बजाय बिना किसी काउन्टर क्लेम एवं प्रतिवाद पत्र के अपीलांटस को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । बिना अनुतोष चाहे अधी0न्याया0 अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता था । खातेदार की भूमि में अन्य काश्तकार द्वारा दखलदांजी किये जाने पर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 को अवांछित लाभ बिना मांगे प्रदान किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.7.2017 के संबंध में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को सूचित नहीं किया गया जिससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को समय पर नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम जानकारी रेस्पो0 द्वारा दिनांक 26.12.2017 करे आराजी पर आकर अपीलांटस को दखलदांजी करने का प्रयास करने पर हुई तत्पश्चात् अपीलांटस ने निर्णय व डिक्री की जानकारी कर प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रति प्रापत होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3 व 4 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांटस एवं रेस्पो0 को एकदूसरे की खातेदारी की आराजी में हस्तक्षेप करने से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । रेस्पो0 द्वारा अपीलांटस की आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है एवं न ही विवादित भूमि में दखलदांजी की जा रही है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणवगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस/वादीगण ने खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2236/1571 रकबा 1–7–05 बीघा में प्रतिवादीगण द्वारा दखलदांजी किये जाने एवं निर्माण कार्य किये जाने का कथन करते हुए प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया था जिस पर अधी0 न्याया0 ने उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 8 तहसीलदार, मसूदा से मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त की है जिसके अनुसार विवादित भूमि ग्राम पीपलाज के खसरा नंबर 2236/1571 रकबा 1–7–05 में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 की खाता संख्या 329 में मोहिनी पत्नि प्रेमसिंह, नरेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह, ललिता, शारदा पुत्रिया प्रेमसिंह की खातेदारी में दर्ज है । नक्शा लट्ठा अनुसार खसरा नंबर 2236/1571 की माप 16 गठ्ठो में है जबकि मौका अनुसार अपीलांटस का 17 गठ्ठो पर कब्जा होना दर्शाया है तथा प्रतिवादीगण का खसरा नंबर 2236/1571 पर अतिक्रमण होना नहीं दर्शाया है । उक्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 द्वारा अपीलांटस की खातेदारी आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं की जा रही है तथा न ही किसी प्रकार का निर्माण किया जा रहा है । अधी0न्याया0 द्वारा उभयपक्ष को एक दूसरे की आराजियात में दखलदांजी नहीं करने से उभयपक्ष को पाबंद किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि उक्त निर्णय से किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है बल्कि पक्षकारों के मध्य सीमा को लेकर होने वाले विवाद का उपचार है। अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने अपील कथनों को साबित करने में पूर्णतय असफल रहे है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.7.2017 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 16.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर